न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम(अलवर)

प्रार्थना पत्र संख्या:- 41/18

पुनित बनाम मीरसिंह

02.04.2018

प्रार्थी मय वकील उपस्थित। प्रार्थना पत्र अ0धा0 212 आर.टी.एक्ट. के तहत पेश किया। बहस एक पक्षीय सुनी गई। प्रार्थी वकील के द्वारा आज अप्रार्थीगण की तलबी के तलबाने की रजिस्ट्रर्ड रसीद पेश की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं सलंग्न दस्तावेजात के अवलोकन से प्रार्थी का केस प्राईमाफेसाई, सुविधा का सन्तुलन एव ना पूर्ति होने वाली क्षति की सम्भावना प्रार्थी के हक मे प्रतीत होती है।

अतः अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण आगामी पेशी दिनांक 01/05/18 तक इस अमर से जारी की जाती है कि वो विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 94/0.31, 406/1/0.10 है0 वाके ग्राम सिलपटा तह0 कोटकासिम जिला अलवर के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग आराजी वादी मे किसी प्रकार से मजाहमत मदाखलत पैदा ना करे, ना ही वादी को सामलात मे आराजी जोतने फसल बोने, काटने, समेटने मे बाधा रूकावट पैदा करे रहन बय आदि से किसी प्रकार खुर्द बुर्द मुन्तकिल ना करे, राजस्व रेकार्ड मे अपने नाम का अमल दरामद ना करावे राजस्व रिकोर्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखे। जो भी उज्र हो हाजिर अदालत होकर पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। आयन्दा पत्रावली दिनांक 01/05/18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

1/5/18 पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण लोक अदालत/कैम्प कोर्ट मे निस्तारण योग्य होने से पत्रावली लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में [illegible] 21.5.18 को पेश हो।

पुनीत कुमार
[illegible] by
Yogesh Paul Adv

3/5/18 प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर अपना वाद खारिज करवाना चाहा है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र को चलाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Scanned by CamScanner